भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–78 / 2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
22.08.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि **23.09.2017** रखें। अभिलेख **23.09.2017** को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
23.09.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 794 दिनांक 23.09.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **कमला देवी**, पति **स्व0 विनोद राम**, ग्राम–**पकौड़ी गली, वार्ड नं0–01**, पोस्ट–**चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**चक्रधरपुर वार्ड नं0–15**, खाता नं०–**100**, प्लॉट नं०–**433**, रकवा–**0.04.000 ए0**, क्रेता **दिलीप मुखी**, पिता–**रामदास मुखी**, ग्राम–**सीरकासाई, वार्ड नं0–09**, पोस्ट–**चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **कमला देवी**, पति **स्व0 विनोद राम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास **6,05,200 / – (छः लाख पाँच हजार दो सौ)** रूपये में बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना–**चक्रधरपुर** के निवासी है। विक्रेता **"चमार"** एवं क्रेता **"घासी"** दोनों **(अ.जा.)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा–**4.49 ए0** भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक / आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता क्रेता **दिलीप मुखी**, पिता–**रामदास मुखी**, ग्राम–**सीरकासाई, वार्ड नं0–09**, पोस्ट–**चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 23.9.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	